फर्द अहकाम

नाम न्यायालय SDO I नाथूराम बनाम लक्ष्मीनारायण

केस संख्या 168/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	14/8/24	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत हुई। [illegible] बहस [illegible] [illegible] बहस [illegible] पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 24/12/2021 को मूलवाद के निस्तारण तक यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
		उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Rcvd [illegible] 20/1/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 168/2021

1. नाथूराम कुमावत पुत्र श्री चौथमल कुमावत
2. देवी लाल कुमावत पुत्र श्री चौथमल कुमावत
3. अशोक उर्फ सीताराम कुमावत पुत्र श्री चौथमल कुमावत

समस्त जाति कुमावत समस्त निवासी– शिव कॉलोनी, मालपुरा गेट, डिग्गी रोड़, सांगानेर, जयपुर राज0।

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण कुमावत पुत्र श्री भौरीलाल कुमावत जाति कुमावत निवासी– करणी गैरेज के पीछे मालपुरा गेट बाहर, सांगानेर, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 सांगानेर, जयपुर राज0।

.................अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा

मान्यवर,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1. यह कि प्रार्थीगण ने एक दावा आज न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमे सफलता की पूरी पूरी आशा है।
2. यह कि तहसील सांगानेर के ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर भू.अभि.नि.क्षेत्र सांगानेर जयपुर में स्थित भूमि जिसके खसरा नम्बर 587 रकबा 0.02 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.02 है0 स्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड में अंप्रार्थी नं0 1 के नाम दर्ज है, किन्तु उक्त भूमि दादा, परदादा के समय से सामलाती भूमि के रूप में चली आ

नाथूराम देवीलाल अशोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:15:18 IST
Reason: SelfAttested